झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

एच0ई0सी0 नगर प्रशासन भवन, गोल चक्कर, धुर्वा, राँची

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञापन संख्या–52 /झा0रा0बि0कॉ0लि0 (भवन) राँची, दिनांक–30.01.2012

झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, (झारखण्ड सरकार का एक लोक उपक्रम) के मुख्य कार्यालय के लिए किराए पर एक भवन की आवश्यकता है । भवन राँची शहर में कम–से–कम 3000 से 3500 वर्गफट का होना चाहिए । हिनू, डोरण्डा, अशोकनगर, हरमू, अरगोड़ा में स्थित भवन को प्राथमिकता दी जाएगी ।

2– इच्छुक व्यक्ति (भवन के स्वामी) प्रतिमाह किराया का दर अंकित करते हुए प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, नगर प्रशासन भवन, द्वितीय तल, सेक्टर–3, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची स्थित वर्त्तमान कार्यालय में मुहरबन्द निविदा दिनांक–18.2.2011 तक 3.00 बजे अपराह्न तक निम्नांकित शर्त्तों पर समर्पित कर सकते हैं । निविदा इसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा । अनुपस्थित निविदादाताओं की निविदाएँ नहीं खोली जाएगी ।

शर्त :–

1– आवेदक का अपने मकान के सामने खुली जगह का रहना आवश्यक है, जिसके लिए कोई किराया देय नहीं होगा ।

2– मकान मुख्य सड़क पर अवस्थित हो अथवा मुख्य सड़क से सुगम आवागमन की सुविधा हो ।

3– निविदा प्रपत्र के साथ स्वामित्व संबंधी अभिलेख संलग्न हो । भवन विवादित न हो ।

4– भवन में पेयजल, शौचालय एवं विद्युत कनेक्शन की समुचित व्यवस्था हो ।

5– भवन का सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शा की प्रति निविदा के साथ संलग्न हो ।

6– निविदा प्रपत्र झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, एच0ई0सी0, नगर प्रशासन भवन, द्वितीय तल, सेक्टर–3 गोल चक्कर, धुर्वा, राँची से दिनांक–11.02.2012 से 17.02.2012 के 3.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय अवधि में निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 500/– देकर प्राप्त किया जा सकता है ।

7– निविदा जमा करने की अंकित तिथि 18.02.2012 के 3.00 बजे अपराह्न तक होगी तथा सभी प्राप्त निविदाओं को निविदादाताओं की उपस्थिति में उसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में खोली जाएगी ।

8– निगम को एक या सभी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार होगा ।

9– निविदा प्रपत्र झारखण्ड सरकार के बेवसाईट www.jharkhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है तथा इसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट जो झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम देय हो निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा ।

10– भवन के निरीक्षण के पश्चात् निगम कार्यालय के लिए संतोषजनक पाये जाने पर ही भवन किराया पर लिया जाएगा ।

11– उक्त भवन का दर स्वीकृत होने पर मकान मालिक को निगम के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा ।

प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची ।